बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

सं० :–2/अ०प्र०–1–258/2017 1062 /पटना, दिनांक :– 22.6.22

श्री इफ्तखार अहमद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, तेघड़ा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2016–17 में FDR के तहत चार पथों के कार्यों में बरती गई अनियमिता एवं रू0 562900/–की कुल वित्तीय क्षति होने से संबंधित आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय अधिसूचना संख्या–2811 दिनांक–04.12.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित की गयी।

मुख्य अभियंता–1 सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–5393 दिनांक–23.12.2019 द्वारा श्री अहमद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री अहमद के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अहमद से विभागीय पत्रांक–1126 अनु0 दिनांक–18.08.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री अहमद द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक–06.10.2021 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का बचाव बयान समर्पित किया गया। द्वितीय बचाव बयान में इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के संबंध में आरोपवार प्रत्युत्तर समर्पित किया गया जिसमें मुख्य रूप से संचालन पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य स्वरूप लगाए गए फोटोग्राफ को स्वीकार नहीं किये जाने तथा पथ की जाँच स्थापित नियमों के अनुरूप नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया। बचाव बयान में उन्हीं बातों का उल्लेख किया गया, जो उन्होनें संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान में अंकित किया था, जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में श्री अहमद द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए प्रश्नगत मामले में हुए कुल वित्तीय क्षति रू0–562900/– के समानूपाति वसूली के तहत रू0–187633/– की वसूली के साथ निदंन एवं असंचयात्मक प्रभाव से अगले तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः श्री इफ्तखार अहमद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया के विरूद्ध बिहार

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@

सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है:–

1. **समानूपातिक वसूली के तहत रू0–187633/– की वसूली।**
2. **निंदन (आरोप वर्ष–2016–17) एंव असंचायत्मक प्रभाव से अगले तीन वेतन वृद्धि पर रोक।**

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–258/2017 1063 /पटना, दिनांक :– 22.6.22

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–258/2017 1063 /पटना, दिनांक :– 22.6.22

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा/चकिया/प्रशाखा पदाधिकारी, पशाखा–5 एवं श्री इफ्तखार अहमद तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा सम्प्रति सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–258/2017 1063 /पटना, दिनांक :– 22.6.22

प्रतिलिपि :–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org., E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com.& secy-reo-bih